F.No.A-12025/03/2016-ISH.I (Pt.)
Government of India
Ministry of Labour & Employment
…….

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,

New Delhi, dated 21st March, 2016.

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All State Governments.
3. Union Public Service Commission, New Delhi.

Subject : Filling up of two posts of Director(Safety) in Pay Band-3 (Rs. 15,600/-- 39,100/- + Grade pay, 7,600/-) in the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai, Ministry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract).

Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up two posts of Director(Safety) in (PB-3 – Rs. 15,600/-- 39,100/- + Grade pay, 7,600/-) in the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai which is an attached office under the Ministry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short term-contract) from amongst officers under the Central Government/ Union Territories /State Governments/Public sector Undertakings /recognized research institutions/statutory or autonomous organizations :-

a) i) holding analogous posts on regular basis;

OR

ii) with five years' regular service in posts in the Pay Band -3 (Rs. 15,600/-- 39,100/- + Grade pay 6,600/-) or equivalent; and

b) Possessing the following educational qualifications and experience :

ESSENTIAL

i) Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine Engineering of a recognized University or equivalent.

ii) Ten years' experience in handling various aspects of Industrial Safety in a factory, dock, ship or a technical institution/organization or in a Government Department dealing with the administration of Factories Act, 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 (54 of 1986).

NOTE :-

1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates' otherwise well qualified.

2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

DESIRABLE

1. Master's Degree in Engineering relevant to (i) above from a recognized University or equivalent.
2. Experience in planning, organizing and coordinating of research, education and training activities pertaining to industrial and dock safety.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

2. At present vacancies exist in the Institutes at Mumbai, Kolkata, Chennai and Kanpur. But the selected candidate is liable to be transferred anywhere in India.

3. The duties of the post are as under :-

i) Dealing with matters concerned with Factories Act and Model Rules.
ii) Administering the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Act.
iii) Planning, organizing and coordinating research, education and training activities pertaining to safety in factories and docks.
iv) Preparation of training materials, safety literature, etc.
v) Preparation of returns, reports and papers for use in factories and docks.

4. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Department of Personnel and Training O.M. No.2/12/87-Estt.(Pay-II) dated 29/04/1988 as amended from time to time or to have his pay fixed in the scale of pay of the post subject to restrictions contained in the Deptt. of Personnel and Training O.M. No.2/8/97-Estt.(Pay-II) dated 11/03/1988 as amended from time to time.

5. With a view to facilitate scrutiny about eligibility, the candidates from Public Sector Undertakings should clearly indicate whether the pay scale held by them is on the Central D.A. Pattern or the Industrial D.A. Pattern.

6. It is requested that the vacancy may be circulated to all concerned including the officers working in the recognized research institutions/public undertakings/statutory or autonomous organizations under your control and the applications (in duplicate) in the enclosed proforma along with the complete and up-to-date Confidential Reports of the officers who could be spared in the event of selection, **may be sent to this Ministry within 60 days from the date of publication of this Circular**. Applications received after the last date or without the Confidential Reports or otherwise found incomplete will not be considered. Cadre Controlling Authority may also kindly ensure that while forwarding the applications, they should verify and certify that the particulars furnished by the officer are correct. It may also be certified that no major or minor penalty was imposed on the officer during the last 10 years of his service and no disciplinary case is pending or contemplated against the officer.

Yours faithfully,

(Raj Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India.
Tel.: 23766936

Copy to :-

1. All attached/subordinate offices under the Ministry of Labour & Employment.
2. All Autonomous Organisations under the Ministry of Labour & Employment.
3. Director General, DGFASLI, Mumbai (with a request to upload the same on the website of DGFASLI for sixty days from the date of publication of this Circular in the Employment News).
4. NIC, Labour and Employment (with a request to upload the same on the website of Ministry of Labour and Employment for sixty days from the date of publication of this Circular in the Employment News).

(Raj Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India.
Tel.: 23766936

BIO-DATA PROFORMA

1. Name and address in Block letters :

2. Date of Birth (in Christian era) :

3. Date of retirement under Central/State Govt :

4. Educational Qualifications :

5. Whether educational and other qualification required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state authority for the same.)

Qualifications/experience Required	Qualifications/experience possessed by the officer

Essential :

(1)
(2)
(3)

Desirable :
(1)
(2)

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post. :

7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.)

Office/ Instt./ Orgn.	Post held	From	To	Scale of pay and basic pay	Nature of duties
1.	2.	3.	4.	5.	6.

8. Nature of present employment, i.e. ad-hoc or temporary or quasi-permanent or permanent. :

9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state :

(a) The date of initial appointment :

(b) Period of appointment on deputation/ contract. :

(c) Name of the parent Office/Organisation to which you belong. :

10. Additional details of present employment. Please state whether working under :-

(a) Central Government :

(b) State Government :

(c) Autonomous Organisation :

(d) Government Undertaking :

(e) Universities. :

11. Are you in revised scale of pay ? If yes, give the date from which the revision took place and also the pre-revised scale.

12. Total emoluments per month now drawn :

Basic Pay :

D.A. :

Total Emoluments :

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

14. Whether belongs to SC/ST/OBC :

15. Remarks, if any.

Date : ` (Signature of candidate)

Place :

Countersigned :

Address :

(Employer)

CERTIFICATE TO BE RECORDED BY THE EMPLOYER WHILE FORWARDING THE APPLICATION

Certified that the particulars filled by Shri _______________

Designation __________________ have been verified and found correct. It is also certified that no vigilance case is pending or contemplated against Shri -_________________________ and his integrity is beyond doubt. Character Roll is enclosed.

SIGNATURE OF THE EMPLOYING AUTHORITY

WITH STAMP AND DATE.

सं. ए-12025/03/2016-आईएसएच.I (पार्ट)

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 2016

<u>सेवार्थ</u>

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

विषय: कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई, श्रम और रोजगार मंत्रालय में (15600-39100/- + 7600/- रूपये के ग्रेड वेतन के वेतनमान में) निदेशक (सुरक्षा) के दो पदों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर भरा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुम्बई, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, में वेतन बैंड-3 में (रु. 15600-39100/- + रु. 7600/- रूपये के ग्रेड वेतन के वेतनमान में) निदेशक (सुरक्षा) के चार पदों को केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) के जरिए भरने का प्रस्ताव है:-

(क) (i) जो सदृश पदों पर नियमित आधार पर हों;

अथवा

(ii) जिन्होंने 15600-39100/- + 6600/- रूपये के ग्रेड वेतन या समतुल्य वेतनमान में पदों पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नांकित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों-

<u>अनिवार्य</u>

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी अथवा इलैक्ट्रिकल अथवा रसायन अथवा मैरीन इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष।

(ii) किसी कारखाने, गोदी, पोत अथवा किसी तकनीकी संस्थान/संगठन अथवा किसी सरकारी विभाग में कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) अथवा गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) के प्रशासन का कार्य देखने सहित औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्य में 10 वर्षों का अनुभव।

टिप्पणी:-

1. यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हताप्राप्त हों तो संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकता है।

2. यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह विचार हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ऐसे समुदाय के अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो ऐसे मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव संबंधी अर्हता में अपने विवेक से छूट दे सकता है।

वांछनीय

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से उपर्युक्त (i) के लिए प्रासंगिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. औद्योगिक एवं गोदी सुरक्षा से संबंधित योजना, संगठन तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों के समन्वयन में अनुभव।

[फीडर संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि, उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित अन्य संवर्गेतर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

2. वर्तमान में रिक्तियां मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा कानपुर संस्थानों में हैं। किंतु चयनित उम्मीदवार का भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

3. पद के कर्तव्य निम्नानुसार हैं-

i) कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मॉडल नियमावली से संबंधित मामलों को देखना।
ii) गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 को प्रशासित करना।
iii) कारखानों तथा गोदियों में सुरक्षा से संबंधित योजना, संगठन तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों का समन्वयन।
iv) प्रशिक्षण सामग्री, सुरक्षा साहित्य इत्यादि तैयार करना।
v) कारखानों तथा गोदियों में प्रयोग के लिए विवरणियां, रिपोर्टें तथा कागजात तैयार करना।

4. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 29.4.1988 के का.ज्ञा. संख्या 2/12/87-स्था.(पे-II) के अनुरूप ग्रेड-पे के साथ प्रतिनियुक्ति(ड्यूटी) भत्ता

आहरित करने अथवा पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा बशर्ते यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 11/03/1988 के समय-समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा. संख्या 2/8/97-स्था.(पे-II) में निर्धारित सीमाओं के भीतर हो।

5. पात्रता संबंधी संवीक्षा में सहूलियत के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभ्यर्थियों को स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उनके द्वारा धारित वेतनमान केंद्रीय महंगाई भत्ते की पद्धति पर है अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ते की पद्धति पर।

6. अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारियों सहित सभी संबंधितों में इस रिक्ति को परिचालित करें और ऐसे पात्र अधिकारियों चयन हो जाने की स्थिति में जिनकी सेवा उपलब्ध कराई जा सके, से संलग्न प्रारूप में आवेदन (दो प्रतियों में) के साथ पूर्ण तथा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें इस **परिपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर** मंत्रालय को भेज दिए जाएं। अंतिम तारीख के बाद अथवा गोपनीय रिपोर्टों के बिना प्राप्त अथवा अन्य रूप से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण आवेदन अग्रेषित करते समय कृपया यह भी सुनिश्चित करें तथा यह सत्यापित और प्रमाणित करें कि अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण सही हैं। यह भी प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की सेवा के दौरान कोई छोटी या बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है और अधिकारी के विरुद्ध कोई आनुशासनिक मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है।

भवदीय

(राज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 23766936

प्रति:

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
2. श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन सभी स्वायत्त संगठन।
3. महानिदेशक, डीजीफासली, एन.एस. मानकीकर मार्ग, सॉयन, मुम्बई-400022

(राज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>जीवन-वृत्त प्रोफार्मा</u>

1. नाम और पता (साफ व बड़े अक्षरों में) :

2. जन्म तारीख (ईस्वी सन में) :

3. केन्द्र/राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा निवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षिक अर्हताएं :

5. क्या पद के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं या नहीं (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित के समतुल्य माना गया है तो उसके प्राधिकरण का उल्लेख करें) :

अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी की अर्हताएं/अनुभव

अनिवार्य

(1)

(2)

(3)

वांछनीय

(1)

(2)

6. कृपया स्पष्ट बताएं कि स्वयं द्वारा की गई उक्त प्रविष्टियों के आलोक में आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं... :

7. नियोजन का क्रमिक ब्यौरा(अगर स्थान कम हो तो अलग कागज लगाएं जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित हो)

कार्यालय/ संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कार्य की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्ध-स्थायी या स्थायी :

9. वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध आधार पर होने की स्थिति में निम्नांकित ब्यौरा दें- :

क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :
ख) प्रतिनियुक्ति/ठेके पर नियुक्ति की अवधि :
ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं :

10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि आप किसके तहत नियोजित हैं:
क) केन्द्र सरकार :
ख) राज्य सरकार :
ग) स्वायत्त संगठन :
घ) सरकारी उपक्रम :
ङ) विश्वविद्यालय :

11. क्या आप पुनरीक्षित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो पुनरीक्षण प्रभावी होने की तारीख और पूर्व-संशोधित वेतनमान का उल्लेख करें :

12. प्रतिमाह आहरित कुल वर्तमान परिलब्धियां:
1. मूल वेतन :
2. महंगाई भत्ता :
3. कुल परिलब्धियां :

13. कोई ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसका आप इस पद के प्रति अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। अगर स्थान कम हो तो अलग कागज लगाएं। :

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं? :

15. अभ्युक्तियां,यदि कोई हों :

तारीख:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
पता:

स्थान:

प्रतिहस्ताक्षर:
पता:
(नियोक्ता)

<u>आवेदन अग्रेषित करते समय नियोक्ता द्वारा अभिलिखित प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पदनाम... द्वारा दिए गए विवरण सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है तथा उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। चरित्र-पंजी संलग्न है।

नियोक्ता प्राधिकारी के मुहर
तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर